फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग[ई] कार्रवाई के बारे [में] टिप्पणी तारीख स[हित]
2	3
अभिलेख उपस्थापित।	

(1)नागो राम (2)श्यामलाल राम दोनों के पिता-स्व0 रामधनी भुईयां, ग्राम-सिलवारखुर्द, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-सिलवारखुर्द, थाना नं0-181, खाता संख्या-50, प्लॉट संख्या-1639, 1685, रकवा-02डी0, 09डी0 कुल रकवा-11 डी0 भूमि वीणा देवी, पति-स्व0 जयनारायण प्रसाद, ग्राम-कोर्रा, पोस्ट-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 30/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता वीणा देवी एवं विक्रेता नागो राम वगै0 अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास संयुक्त खाता में रकवा 0.10 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं फागु भुईयां के नाम दर्ज है। भूमि आवेदकों को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 160/I पर रामधनी भुईयां के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता नागो राम का उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2016/419701 दिनांक 05.09.2016 एवं उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2017/767571 दिनांक-02.07.2017 और क्रेता वीणा देवी का उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2016/429434 दिनांक 05.09.2016 एवं उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा ऑनलाईन निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	JHCC/2017/746594 दिनांक 02.07.2017 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-सिलवारखुर्द, थाना नं0-181, खाता संख्या-50, प्लॉट संख्या-1639, 1685, रकवा-02डी0, 09डी0 कुल रकवा-11 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 03/9/17	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.08 17:48:15 +05:30
Location: 192.168.0.117